प्रेस नोट   पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद   दिनांक 23.07.2024

थाना सिहानी गेट पुलिस टीम द्वारा आटो चालको से टैक्सी स्टैण्ड के नाम पर अवैध वसूली करने वाले व्यक्ति को किया गया गिरफ्तार ।

दिनांक 22.07.2024 को थाना सिहानीगेट पुलिस टीम को सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति टेम्पो चालकों से 300 – 300 रूपये महीनेदारी / रंगदारी जबरदस्ती वसूलता है । सूचना के आधार पर तत्काल अभियोग पंजीकृत करते हुये अभि0 राजीव शर्मा उर्फ राज शर्मा पुत्र रामपाल शर्मा नि0- म0न0 41 गली न0 2 दीन दयाल पुरी नंदग्राम गा0बाद को शहीद स्थल मैट्रो स्टेशन टैम्पो स्टैड के पास से गिरफ्तार किया गया ।

नाम पता अभियुक्तगणः-

अभि0 - राजीव शर्मा उर्फ राज शर्मा पुत्र रामपाल शर्मा नि0- म0न0 41 गली न0 2 दीन दयाल पुरी नंदग्राम गा0बाद ।

पूछताछ का विवरणः-

अभियुक्त राजीव शर्मा उर्फ राजा शर्मा ने पूछने पर बताया कि साहब मै अपनी आजीविका चलाने के लिये टेम्पो चालकों को डरा धमका कर टैम्पो स्टैण्ड के नाम पर टैम्पो चालको से 300   – 300 रूपये जबरदस्ती वसूली कर लेता था ।

गिरफ्तार करने वाली टीमः-

थाना सिहानीगेट पुलिस टीम

थाना लोनी बॉर्डर पुलिस द्वारा वाहन चोरी करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की मोटरसाइकिल बरामद ।

आज दिनांक 23.07.2024 को थाना लोनी बॉर्डर पुलिस टीम द्वारा चैकिंग के दौरान मैट्रो लाइन के नीचे गोकुलपुरी रोड से वाहन चोरी करने वाला अभियुक्त प्रमोद उर्फ हन्नी पुत्र सनेशपाल निवासी अम्बेडकर कालोनी, बेहटा हाजीपुर थाना लोनी बॉर्डर गाजियाबाद को गिरफ्तार किया गया जिसके कब्जे से चोरी की बिना नंबर मोटरसाइकिल बरामद हुई। बरामद मोटरसाइकिल के संबंध में दिल्ली में अभियोग पंजीकृत है। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण

पूछताछ करने पर अभियुक्त द्वारा बताया गया कि यह मोटरसाइकिल मैंने कुछ महीने पहले दिल्ली जीटीबी हॉस्पिटल से चोरी की थी और छिपा दिया था। मैं पूर्व में भी कई घटनाएं कर जेल जा चुका हूँ। आज मैं इस चोरी की मोटरसाइकिल को बेचने की फिराक में निकला था कि पुलिस चेकिंग में पकड़ा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम/पता

प्रमोद उर्फ हन्नी पुत्र सनेशपाल निवासी अम्बेडकर कालोनी, बेहटा हाजीपुर थाना लोनी बॉर्डर गाजियाबाद,उम्र 28 वर्ष

बरामदगी का विवरण

चोरी की 01 मोटरसाइकिल बिना नंबर बरामद जिसके संबंध में ई-एफआईआर नं0 0006391/24 थाना ई-पुलिस स्टेशन एमवी थैफ्ट क्राइम ब्रांच दिल्ली में दर्ज है।

अपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग

अभियुक्त के विरुद्ध थाना लोनी बॉर्डर पर लूट के 02 अभियोग, गुण्डा अधिनियम का 01 अभियोग, आर्म्स एक्ट का 01 अभियोग पंजीकृत हैं तथा चोरी का वाहन बरामदगी के संबंध में 01 अभियोग पंजीकृत किया गया है तथा दिल्ली में मोटरसाइकिल चोरी के संबंध में 01 अभियोग पंजीकृत है।

गिरफ्तारी करने वाली टीम

थाना लोनी बॉर्डर पुलिस टीम

थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पुलिस द्वारा वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 16.07.2024 को थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पर वादिया द्वारा लिखित सूचना दी गई कि प्रतिवादी अनस पुत्र इरफान निवासी डासना थाना मसूरी गाजियाबाद द्वारा वादिया की पुत्री उम्र करीब 19 वर्ष को शादी का झांसा देकर सम्बन्ध बनाता रहा और बाद में शादी करने से मना कर दिया व अनस के उकसाने पर व इससे तंग आकर वादिया की पुत्री द्वारा आत्महत्या करने के इरादे से हाइवे पर आ रहे ट्रक के आगे कूद जाना जिससे वादिया की पुत्री के गम्भीर चोट आना तथा दौराने उपचार उसकी मृत्यु हो जाना। इस सूचना पर तत्काल थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पर अभियोग पंजीकृत किया गया तथा वांछित अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु टीम का गठन किया गया।

तत्पश्चात आज दिनांक 23.07.2024 को थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पुलिस टीम द्वारा उपरोक्त घटना में वांछित अभियुक्त अनस पुत्र इरफान निवासी भगवती कॉलेज के पीछे वर्धा एन्कलैव मसूरी गाजियाबाद उम्र 23 वर्ष को मुखबिर की सूचना पर शुक्र बाजार के पास खाली पड़े मैदान थाना क्षेत्र क्रॉसिंग रिपब्लिक से गिरफ्तार किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण- पूछताछ के दौरान अभियुक्त द्वारा बताया गया कि मृतक लड़की व मैं किराये पर आमने-सामने रहते थे तथा हम दोनों में बातचीत शुरू हो गई , इसी बीच हम दोनों में दोस्ती हो गयी थी तथा मेरे द्वारा उसके साथ शादी का झांसा देकर कई बार शारीरिक सम्बन्ध भी बन गए थे। मृतका मुझसे शादी करना चाहती थी। मैने शादी करने से मना कर

दिया तो उसके द्वारा ट्रक के सामने कूद कर आत्महत्या करने का प्रयास किया , जिससे मृतका गंभीर रुप से घायल हो गयी तथा अस्पताल में उसकी इलाज के दौरान मृत्यु हो गयी थी।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त का नाम/पता</u>

अनस पुत्र इरफान निवासी भगवती कॉलेज के पीछे वर्धा एन्कलैव मसूरी गाजियाबाद, उम्र 23 वर्ष

<u>अपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग</u>

अभियुक्त के विरुद्ध उपरोक्त घटना के संबंध में थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पर 01 अभियोग पंजीकृत है।

<u>गिरफ्तारी करने वाली टीम</u>

थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पुलिस टीम

थाना नन्दग्राम पुलिस टीम द्वारा 02 वांछित अभियुक्ता गिरफ्तार।

दिनांक 14-07-24 को वादी श्री गौरव त्यागी पुत्र श्री श्रद्धा राम त्यागी निवासी- 1/25 A, हरिनगर घूकना थाना नन्दग्राम गाजियाबाद ने सूचना दी कि मेरी बहन शिवानी त्यागी पुत्री श्री श्रद्धा राम त्यागी निवासी उपरोक्त द्वारा AXIS BANK में SALES EXECUTIVE की नौकरी में प्रताडना से तंग आकर आत्महत्या कर ली है, मेरी बहन द्वारा कम्पनी में त्याग-पत्र कम्पनी से मांगा गया था, परन्तु BANK द्वारा उसका त्याग-पत्र स्वीकृत नहीं किया गया, बल्कि गलत तरीके से मेरी बहन को टरमिनेट कर दिया गया गया, प्रताडना से प्रताडित होकर मेरी बहन ने आत्महत्या कर ली, उक्त सूचना पर थाना नन्दग्राम पर वादी की तहरीर पर तत्काल अभियोग पंजीकृत की गया।

<u>कार्यवाही का विवरण</u> - उपरोक्त घटना का तत्काल संज्ञान लेते हुए , थाना स्तर पर टीमों का गठन किया गया,बैंक परिसर के अधि/कर्म0गण से पूछताछ की गयी, सीसीटीवी आदि का अवलोकन किया गया, दिनांक 18-7-24 को घटना में शामिल मुख्य अभियुक्त मो0अकरम को गिरफ्तार कर मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया गया था, दिनांक 23-07-24 को उपरोक्त घटना में शामिल अन्य दो अभियुक्ता जो AXIS BANK में शिवानी की ही टीम में कार्य करती थी को गिरफ्तार किया गया है। बैंक परिसर में जांच के दौरान उक्त दोनों अभियुक्ताओं द्वारा शिवानी को काम के दौरान परेशान किये जाने की बात सामने आयी है, तथा मृतका द्वारा भी अपने द्वारा लिखे गये सुसाइड-नोट में भी दोनों अभियुक्ताओं द्वारा कार्यस्थल AXIS BANK में परेशान करने की बात लिखी गयी है। गिरफ्तार अभियुक्ता के विरुद्ध आवश्यक वैधनिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>नाम व पता अभियुक्ता-</u>

(1) श्रीमती गुन्जन पत्नी सुभाष चंद निवासी म0नं0 10 गली नं 1 ग्राम सलारपुर थाना सैक्टर 39 नोएडा, उम्र करीब 32 वर्ष
(2) श्रीमती गिरिजा देवी उर्फ पूजा सिंह पत्नी त्रिलोक सिंह निवासी 75/13 आई-ब्लाक जैदपुर बदरपुर थाना जैदपुर दिल्ली, उम्र करीब 36 वर्ष

गिरफ्तार करने वाली टीम—

थाना नन्दग्राम पुलिस टीम कमिश्नरेट गाजियाबाद।

थाना निवाडी पुलिस द्वारा वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 06.07.2024 को थाना निवाडी पर वादी द्वारा नामजद तहरीर दी गई कि टीटी उर्फ अखिल पुत्र बाबू, हेमन्त पुत्र अमित निवासी याकूतपुर मवी थाना निवाडी गा0बाद व अन्य व्यक्ति द्वारा मेरे पुत्र संगीत भारद्वाज को दिनांक 05.07.2024 को टीटी उर्फ अखिल उपरोक्त द्वारा अपने साथ योजनाबद्ध तरीके से देवेन्द्र उर्फ पप्पड की टयूबवैल पर ले जाकर जान से मारने की नियत से नामजद उपरोक्त व अज्ञात व्यक्तियो द्वारा ईटो से सर पर हमला करके अधमरा करके छोडकर भाग जाना जिसके सम्बन्ध में तत्काल थाना निवाडी पर अभियोग पंजीकृत किया गया ।तत्पश्चात थाना निवाडी पुलिस द्वारा दिनांक 22.07.2024 को विवेचना से प्रकाश में आये अभियुक्त आशीष नेहरा पुत्र अजय नेहरा नि0 ग्राम याकूतपुर मवी थाना निवाडी गाजियाबाद को गिरफ्तार किया गया।अग्रिम वैधानिक कार्यवाही अमल में लायी जा रही है।

पूछताछ का विवरण

पूछताछ करने पर अभियुक्त आशीष नेहरा द्वारा बताया गया कि मेरी बहन अनिका नेहरा की वादी से पूर्व से मुकदमाबाजी थी जिसके कारण आपस मे रंजिश चल रही थी। इसी कारण मौका पाकर मैंने अपने दोस्तों टीटी उर्फ अखिल,हेमन्त के साथ मिलकर संगीत भारद्वाज के साथ मारपीट कर दी गई थी।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम/पता

आशीष नेहरा पुत्र अजय नेहरा नि0 ग्राम याकूतपुर मवी थाना निवाडी कमि0 गा0बाद,उम्र 24 वर्ष

अपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग

अभियुक्त के विरुद्ध उपरोक्त घटना के संबंध में निवाडी पर 01 अभियोग पंजीकृत है।

गिरफ्तारी करने वाली टीम

थाना निवाडी पुलिस टीम।